



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.Org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/3843

दिनांक:- 28/02/2023

कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2023 वीं बैठक दिनांक 27.02.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है। बैठक के दौरान जोन-6 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-06 की 03/2023 वीं बैठक दिनांक 31.01.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठकों के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	आंगणवा	160/1, 160/2	07.07.10 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बद्रीनारायण पुत्र श्री माणकलाल, श्रीमती गीता पत्नी श्री आसुलाल, श्री नारायणलाल राखेचा पुत्र श्री किशन, श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री भगवानराम, श्री प्रेमराम पुत्र श्री देवीलाल, श्री दिकेश दैया पुत्र श्री मोतीलाल, श्री राजेन्द्र दैया पुत्र श्री परमसुख, गायत्री दहिया पुत्री श्री अचलाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 160/1, 160/2 रकबा 07.07.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि एवम् प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 158, 158/2 के मध्य खसरा संख्या 159 का प्रकरण भी समिति के समक्ष एजेण्डा संख्या 19 पर प्रस्तुत किया जाकर अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिससे आवेदित भूमि को 12 मीटर पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः जोन स्तर पर उक्त 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।				

5.	नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
6.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	मण्डोर	69/1	00.16.00 बीघा में से 00.13.00 बीघा	होटल (पर्यटन ईकाई) एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती उत्तमा देवी पत्नी श्री जेठूसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 69/1 रकबा 00.16.00 बीघा में से 00.13.00 बीघा अर्थात् 1260.00 वर्गगज में होटल (पर्यटन ईकाई) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि जोधपुर-नागौर मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित मार्ग का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आस-पास औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित होने के दृष्टिगत 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सड़क मध्य से 9 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे। 5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बाबत नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 				

9

6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	जाजीवाल भाटियान्	78/7	08.00.00 बीघा	फार्म हाउस योजना
आवेदक	श्री श्रवणराम पुत्र श्री बीजाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम जाजीवाल भाटियान् के खसरा संख्या 78/7 रकबा 08.00.00 बीघा में फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में मौके पर चल रहे रास्ते व पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार, जो कि वर्तमान में मौके पर बंद है, तथा आवेदित भूमि के पश्चात् आबादी क्षेत्र तक ही होने के दृष्टिगत कमशः 18 मीटर व 12 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर व 12 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 9 मीटर व 6 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 78 (राजकीय भूमि) स्थित है जिसमें भविष्य में योजना बनाये जाने हेतु आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में आवेदित भूमि की सीमा तक पहुंच मार्ग 18 मीटर रखे जाने का निर्णय लिया गया। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.02.2023 को जारी आदेश अनुसार आवेदक द्वारा टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुरूप 75:25 के अनुपात में प्रस्तावित फार्म हाउस योजना में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2022 को जारी आदेश की तालिका-1 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 10 प्रतिशत, उंचाई अधिकतम भू+1 (10 मीटर) तथा सेटबैक व बी.ए.आर तालिका अनुसार रखा जावे। 4. आवेदित भूमि के सडक भाग से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 5. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत 				

<p>शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	सुरपुरा	313, 314 / 1	04.01.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती पेंफी पत्नी श्री लालाराम, श्री पुखराज पुत्र श्री हीरालाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा संख्या 313, 314 / 1 रकबा 04.01.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के सामने 24 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि खसरा संख्या 313 कुल रकबा 09.18.00 बीघा में से 07.00.00 बीघा भूमि का अनुमोदन पूर्व में किया जा चुका है। तथा शेष रकबा 02.18.00 बीघा भूमि का आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः सम्पूर्ण भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज होने के कारण तरमीम की आवश्यकता नहीं है। 3. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	थबूकडा	69/5	16.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री नानकराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम थबूकडा के खसरा संख्या 69/5 रकबा 16.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा से उपलब्ध पहुंच मार्ग को 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 9 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। उक्त 18 मीटर सडक को आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में निरन्तर रखते हुए (आवेदित भूमि में से 9 मीटर) आगे की तरफ एच.टी लाईन के सेपटी-कोरिडोर के उपरान्त 12 मीटर सडक प्रस्तावित करते हुए उक्त से मिलान किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व दिशा में गुजर रही 400 के0वी की विद्युत लाईन के मध्य से नियमानुसार 16.6 मीटर सेपटी कोरिडोर तथा उसके उपरान्त 12 मीटर सडक का प्रावधान किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	दईजर	269/3, 269/14	05.17.15 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भंवरलाल पुत्र श्री फूलचन्द, श्री फूलचन्द पुत्र श्री दुर्गाराम				



विषय:-	राजस्व ग्राम दर्ईजर के खसरा संख्या 269/3, 269/14 रकबा 05.17.15 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि दर्ईजर-नांगौर मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार 12 मीटर सडक का प्रावधान किया जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	दर्ईजर	277/3	01.10.00 बीघा	आवासीय एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री महेन्द्रराम पुत्र श्री ताजाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम दर्ईजर के खसरा संख्या 277/3 रकबा 01.10.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 12 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किया जावें। उपरोक्त सडक के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार को 18 मीटर रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति 				

<p>प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।</p> <p>2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें।</p> <p>3. आवेदित भूमि के बी.एस.एफ क्षेत्र के पास स्थित होने के कारण प्रकरण में भवन निर्माण स्वीकृति से पूर्व बी.एस.एफ की अनापत्ति प्राप्त की जावें।</p> <p>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।</p> <p>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</p> <p>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	दईजर	177 / 4 / 2	12.19.10 बीघा में से 03.04.16 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भंवरलाल पुत्र श्री सूरजाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 177 / 4 / 2 रकबा 12.19.10 बीघा में से 03.04.16 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावें। 4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 				

7.	नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
8.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
9.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	दईजर	145 / 14	12.01.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती भानु दयानी पत्नी श्री महेश कुमार, श्री देवेन्द्र कुमार भण्डारी पुत्र श्री गणपतमल भण्डारी, श्रीमती संतोष भाटी पत्नी श्री नरेश भाटी, श्रीमती शोभा झंवर पत्नी श्री अनिल झंवर, श्रीमती सुमन झंवर पत्नी श्री गोपाल सिंह, K.M.C.C Power Renewable Private Limited				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 145/14 रकबा 12.01.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 3. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 				

8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	विनायकपुरा	651/2, 651/4	3.8266 हेक्टेयर	मुख्यमंत्री जन आवास योजना (प्रावधान 3-बी) के तहत
आवेदक	श्री मोहनराम पुत्र श्री तिलोकराम, श्री किसनाराम पुत्र श्री धर्माराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम विनायकपुरा के खसरा संख्या 651/2, 651/4 रकबा 3.8266 हेक्टेयर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना (प्रावधान 3-बी) के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण को राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु अभिशंषा के साथ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व में खसरा संख्या 652/48 से 652/52 की अनुमोदित योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 145 में से आवेदक द्वारा पहुँच मार्ग हेतु समर्पित 09 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.09.2022 को जारी अधिसूचना-अनुसार प्रकरण में राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। 3. प्रस्तुत मानचित्र अनुसार खसरा संख्या 652/48 से 652/52 की अनुमोदित योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 145 में से आवेदक द्वारा 9 मीटर सड़क मार्गाधिकार पहुँच मार्ग हेतु समर्पित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में जोन स्तर से आपत्ति आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जावे। 4. खसरा संख्या 652/48 से 652/52 की अनुमोदित योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 145 के नियमानुसार संशाधित पट्टा विलेख जारी किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। 5. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.09.2022 को जारी अधिसूचना अनुसार योजना में सृजित भूखण्डों का भविष्य में संयुक्तिकरण/उप-विभाजन नहीं किया जावे। उक्त की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक भूखण्ड के पट्टा विलेख में उक्त शर्त का अंकन किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। 7. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 9. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत 				

10

	<p>शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	---

एजेण्डा संख्या 12 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	नेतडा	372/4	10.16.00 बीघा	रिसोर्ट एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम नेतडा के खसरा संख्या 372/4 रकबा 10.16.00 बीघा में रिसोर्ट एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि जोधपुर-नागौर मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर तथा उसके उपरान्त 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में निर्णयानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 4. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविधि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बाबत नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 13 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	नेतडा	854/69	05.00.00 बीघा में 01.12.13 बीघा	पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री जगदीश विश्णोई पुत्र श्री फगलुराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम नेतडा के खसरा संख्या 854/69 रकबा 05.00.00 बीघा में 01.12.13 बीघा में पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				

निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि जोधपुर-नागौर मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखा जावें। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम-2020 अनुसार सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावें एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जांच की जावें। 4. एन.जी.टी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना आवेदक तथा जोन स्तर पर की जावें। 5. कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि में ट्रांसफॉर्मर की डी.पी/विद्युत लाईन को आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय पर हटाये जाने की कार्यवाही की जावें। उक्त की सुनिश्चितता के उपरान्त पट्टा विलेख जारी किया जावें। 6. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन की पूर्ण पालना की जावें। 7. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें। 8. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
----------	--

एजेण्डा संख्या 14 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	बासनी लाछा	124/2, 124/4	27.12.00 बीघा	एग्रोबेस इण्डस्ट्रीज योजना
आवेदक	श्री दीपाराम पुत्र स्व. श्री कालुराम वगैरहा				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 124/2, 124/4 रकबा 27.12.00 बीघा में एग्रोबेस इण्डस्ट्रीज योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान में संशोधन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बी.पी.सी एल.पी की बैठक दिनांक 12.05.2022 को लिये गए निर्णय के क्रम में प्रश्नगत योजना के उत्तर दिशा में स्थित औसिया-नागौर रिंग रोड का मार्गाधिकार 90 मीटर किये जाने हेतु आयोजना शाखा द्वारा वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या सी/1 व सी/2 में 				

8

	<p>से 15 मीटर भूमि कम करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव को समिति द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>2. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या सी/1 व सी/2 के पट्टा विलेखों को भूखण्ड धारकों से प्राधिकरण में अविलम्ब प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया जावे तथा नियमानुसार उक्त पट्टा विलेखों को समर्पण की कार्यवाही किये जाने के उपरांत संशोधित मानचित्र अनुसार नवीन पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।</p> <p>3. प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने के उपरांत ही नियमानुसार 12.5 प्रतिशत रहन भूखण्डों के संबंध में पट्टा जारी करने तथा जिन भूखण्डों के पट्टे जारी हैं उनमें नाम हस्तान्तरण, भवन मानचित्र अनुमोदन स्वीकृति, उप-विभाजन/संयुक्तिकरण, बेचान अनुमति इत्यादि की कार्यवाही सम्पादित की जावे।</p>
--	---

एजेण्डा संख्या 15 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	करवड	425/मीन, व अन्य	63.07.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती कमला मीणा पत्नी श्रीफल मीणा, श्री गुट्टी पुत्र श्री लोहडया, श्री मुकेश परिहार पुत्र श्री बलवीर सिंह परिहार, श्री रांतोष कुमार गांधी पुत्र श्री ओमप्रकाश गांधी, श्री कैलाश राठी पुत्र श्री दीनदयाल राठी, श्री सत्यनारायण टाक पुत्र श्री खीयाराम, श्री महेश कुमार दयानी पुत्र श्री मंछाराम, श्री किशोर पुत्र श्री पप्पाराम, श्री भंवरलाल पुत्र श्री सुरजाराम, श्री बंशीलाल सोनावत पुत्र श्री जयराम, श्री मनीष पुत्र श्री हरिप्रसाद, श्री रोहित पुत्र श्री राजेन्द्र, श्री सुनील दत्त कालानी एच.यू.एफ पिता श्री रूपनारायण कालानी, श्री डूंगरराम पुत्र श्री ओमप्रकाश				
विषय:-	राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 425/मीन, 425/मीन1, 425/मीन2, 425/मीन3, 425/मीन4, 425/मीन5, 425/6/1, 425/19, 425/20 रकबा 63.07.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि जोधपुर-नागौर मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर तथा उसके उपरान्त 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे। साथ आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर सडक का प्रावधान किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.09.2021 को जारी परिपत्र के क्रम में आवेदित भूमि में से मास्टर डवलपमेंट प्लान की सडक प्रस्तावित होने के कारण सडक के मार्गाधिकार में वृद्धि हेतु निःशुल्क समर्पित की जाने वाली भूमि के समतुल्य सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित क्षेत्र में नियमानुसार छूट प्रदान की जावे। 3. प्रकरण में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24.02.2023 के एजेण्डा संख्या 14 के अनुसार ले-आउट प्लान संशोधन शुल्क जोन स्तर पर वसूल किया जावे। 4. प्राधिकरण द्वारा खसरा संख्या 425/मीन, 425/मीन1, 425/मीन2, 425/मीन3, 425/6/1, रकबा 45.10.00 बीघा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3-सी के तहत एवम् खसरा संख्या 425/मीन4 रकबा 10.00.00 बीघा भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ हेतु पूर्व में लिए गए निर्णय को निरस्त समझा जावे। 5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 				

1

	<p>1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।</p> <p>6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 10 है0 से अधिक क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य ईडब्ल्यूएस/एल.आई.जी के भूखण्डों का प्रावधान किया जावें।</p> <p>7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।</p> <p>8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</p> <p>9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</p>
	<p>10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>

एजेण्डा संख्या 16 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	कडवड	453/6	09.00.00 बीघा में से 1620.21 मीटर	होटल (पर्यटन ईकाई) एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती मधु सांखला पत्नी श्री गोविन्दराम सांखला				
विषय:-	राजस्व ग्राम कडवड के खसरा संख्या 453/6 रकबा 09.00.00 बीघा में से 1620.21 मीटर में होटल (पर्यटन ईकाई) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जांच की जावें। 5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बाबत नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय 				

82

में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 17 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	दईकडा	269 / 2, 269 / 3	02.16.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री भगवानराम पुत्र श्री छोगाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईकडा के खसरा संख्या 269 / 2, 269 / 3 रकबा 02.16.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ हेतु सडक मार्गाधिकार निर्धारण बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत समिति द्वारा दईकडा ग्राम को जाने वाले उक्त कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किया जावे। उपरोक्त सडक के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए 90/क की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।				

एजेण्डा संख्या 18:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	उत्तर	मण्डोर-प्रथम	1932 / 48, 1934 / 48, 1935 / 48	07.13.00 बीघा	रिसोर्ट एकल भूखण्ड
आवेदक	मैसर्स बसंत रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म जरिये श्री विनय कुमार पुत्र श्री सुखवीर सिंह, श्री गौरव पुत्र श्री विनय कुमार				
विषय:-	राजस्व ग्राम मण्डोर-प्रथम के खसरा संख्या 1932 / 48, 1934 / 48, 1935 / 48 रकबा 07.13.00 बीघा में रिसोर्ट एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. बी.पी.सी एल.पी की बैठक दिनांक 09.11.2022 में लिये गए निर्णय के क्रम में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किया जा चुका है। उक्त मार्ग ग्राम सेवा सेवक ट्रेनिंग सेन्टर, रेल्वे फाटक से निम्बा-निम्बडी मन्दिर/गौशाला तक निर्धारित किया जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. प्रकरण में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24.02.2023 के एजेण्डा संख्या 14 के अनुसार ले-आउट प्लान संशोधन शुल्क जोन स्तर पर वसूल किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बाबत् नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 5. शेष शर्तें बी.पी.सी एल.पी की बैठक दिनांक 09.11.2022 में लिये गए निर्णय अनुसार यथावत रहेगी।				

एजेण्डा संख्या 19 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	आंगणवा	159	11.17.10 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री देवीलाल पुत्र श्री जमनाराम, श्री शिवलाल पुत्र श्री वीरमाराम, श्री मांगीलाल पुत्र श्री चंदनाराम, श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री राणाराम, श्री महेन्द्र सिंह इंदा पुत्र श्री भंवरसिंह, श्री नारायणलाल पुत्र श्रीकिशन, श्री सम्पतराज पुत्र श्री किशन				
विषय:-	राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 159 रकबा 11.17.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 12 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. प्रकरण में प्राप्त आपत्ति/स्थगन आदेश के संबंध में जोन स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। 3. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				


एजेण्डा संख्या 20 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	बासनी मालियान्	239, 245	32.00.00 बीघा में से 16.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	गार्ड पत्रावली				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी मालियान् के खसरा संख्या 239, 245 रकबा 32.00.00 बीघा में से 16.00.00 बीघा भूमि पर आवासीय योजना हेतु सडक मार्गाधिकार निर्धारण बाबत।				

82

निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत योजना प्रशासन शहरों के संग अभियान जोनल लेवल समिति की बैठक दिनांक 07.11.2022 में अनुमोदित की जा चुकी है। आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सडक मार्गाधिकार को 18 मीटर निर्धारित करते हुए जोन उपायुक्त द्वारा लोक सूचना का प्रकाशन किया जा चुका है जिसमें निर्धारित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार जोनल लेवल समिति द्वारा सडक मार्गाधिकार के संबंध में लिये गए निर्णय को समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
----------	---

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/3844-49 दिनांक:- 28/02/2023
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन-6), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-"1"

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2023 वीं बैठक दिनांक 27.02.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण विश्णोई, उपायुक्त (जोन-6) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 7. प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |
| 8. श्री दयाल सिंह राजपुरोहित, भू-अभिलेख निरीक्षक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

$\bar{z} + 1$